


कुचामनसिटी
8114204

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
श्री शोताराम पुत्र दलपत वाणी कुचामनसिटी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	313 / 2021	GCMS No. 2021 / 1106
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
8114204	<p>वादी श्री <u>शोताराम</u> पुत्र <u>दलपत</u> जाति <u>वाणी</u> निवासी <u>कुचामनसिटी</u> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत <u>कुचामनसिटी</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत <u>2074-2077</u> ग्राम <u>कुचामनसिटी</u> पटवार मण्डल <u>कुचामनसिटी</u> के खाता नम्बर <u>297</u> में वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <u>शा.रा. प्र. दल</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम <u>शोताराम पुत्र दलपत</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. <u>008384300904</u> आधार नम्बर <u>7889 3446 2376</u> मतदाता पहचान पत्र <u>4858115526</u> अन्य दस्तावेज <u>पत्र सरकार कार्ड</u> की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <u>कुचामनसिटी</u> भू.अ.नि <u>पो-नवा</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

1278-1280


उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)